(को-सीलेंडर) किया जाता है। प्रकरण बाद
127/2022 के तहत पारित प्रासंगिक
पालना में दिनांक 12/6/2024 को पेश

Ahlad

11-12-25 पत्रावली सिगेह से पेश हुई। पत्रावली का
अवलोकन किया। प्रकरण बाद अन्तर्गत धारा
53,54, RTA 1955 उनवान रतन देवी
बनाम बापू होकर वाद पत्र में अंकित
आराजीयान ग्राम रूपाहेली बी है
उक्त प्रकरण से सम्बन्धित बाद अन्तर्गत
धारा 53,188 प्र०स० 127/2022 होकर
समान पक्षकार व एक ही
विषयवस्तु का होकर निर्णय दिनांक
04-09-24 को होकर अंतिम डिक्री
के आदेश हो जाने से अब इस प्रकरण
में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है
अतः प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा